

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

पत्र संख्या 51

/राँची, दिनांक

08/01/2025

02/ह0रे0ह0नि0/बजट(आवंटन)-06-02/2020

प्रेषक,

आकांक्षा रंजन

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प,

सेवा में,

अवर सचिव,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय,

झारखण्ड, राँची।

विषय— वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र प्रायोजित कम्प्रीहेंसिव हैण्डलूम क्लस्टर डेवलपमेंट योजना (CHCDS)के अन्तर्गत मेगा हैण्डलूम क्लस्टर, गोड्डा की स्थापना हेतु राज्यांश की राशि रू0 93,64,000/- (तिरान्चे लाख चौसठ हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन।

महाशय,

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय राज्यादेश संख्या-68/राँची, दिनांक 17.12.2024 के आलोक में हथकरघा विकास योजना के तहत केन्द्र प्रायोजित कम्प्रीहेंसिव हैण्डलूम क्लस्टर डेवलपमेंट योजना (CHCDS) के अन्तर्गत मेगा हैण्डलूम क्लस्टर, गोड्डा की स्थापना हेतु राज्यांश की राशि रू0 93,64,000/- (तिरान्चे लाख चौसठ हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नवत आवंटित किया जाता है:-

क्र0	बजट शीर्ष	प्राथमिकइकाई	विपत्र कोड	आवंटितराशि(रुपये में)
1	2	3	4	5
1	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-103-हथकरघा उद्योग -60 -राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम-	00-06-अनुदान-79- सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	23S28510010360000679	93,64,000
			कुल योग	93,64,000

(तिरान्चे लाख चौसठ हजार रुपये)मात्र

- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में योजना आय व्ययक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-103-हथकरघा उद्योग-60-राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम-06- अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) के अंतर्गत विकलित होगा। राशि की निकासी हेतु विपत्र कोड-23S28510010360000679 अंकित करना अनिवार्य होगा।
- यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट उपबंध तथा आवंटनादेश सं0-54, दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत है। राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 तक ही किया जायेगा।
- इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखण्ड, राँची होंगे। योजना कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण का दायित्व नियंत्री पदाधिकारी पर होगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, DDO Code-DRNIND013 से की जाएगी। अवर सचिव, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय द्वारा राशि की निकासी कर झारखण्ड सिल्क, टैक्सटाईल एण्ड हैण्डिक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (झारक्राफ्ट), राँची के पी0 एल0 खाता में जमा की जाएगी।
- राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या 2561/पटना, दिनांक 17.04.1998, वित्त-4-23/2003 /1800 वि0, राँची दिनांक 15.07.2003 एवं वित्त-19/वित्तीय नियंत्रण/3001/ 2015-1681/वि0, दिनांक 10.06.2015 के आलोक में ही की जाएगी एवं उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4

7. आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित शर्तों के अनुसार किया जाएगा:-

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्तविभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि का व्यय दूसरी इकाई में नहीं किया जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाये।

(घ) मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 3री(तीसरी)तारीख तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

(ङ) व्यय प्रतिवेदन में प्रत्येक इकाई का व्यौरा अलग-अलग प्रेषित किया जाय।

8. स्वीकृत्यादेश के कंडिका-3 में निहित व्यय विवरणी का अक्षरशः पालन किया जाएगा।

9. योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1363 दिनांक 09.05.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तदनुरूप आवंटितराशि की निकासी की जाएगी।

10. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-68/राँची, दिनांक 17.12.2024 दृमें निहित प्रावधानों/शर्तों/दिशानिर्देशों/निर्धारित मापदण्डों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाएगा।

11. व्यय सक्षम पदाधिकारी से जहाँ आवश्यक हो से स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाय।

12. ऑनलाईन निर्गत आवंटन की विवरणी संलग्न है, जिस <http://172.16.20.15/ifmsjhar> पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

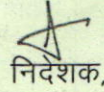

निदेशक,

हस्तकरधा, रेशम एवंहस्तशिल्प

ज्ञापांक 51 / राँची, दिनांक 08/01/2025

02 / ह0रे0ह0नि0 / बजट(आवंटन)-06-02 / 2020

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(लेखा एवंहक0), झारखण्ड, पो0-हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक,

हस्तकरधा, रेशम एवंहस्तशिल्प

ज्ञापांक 51 / राँची, दिनांक 08/01/2025

02 / ह0रे0ह0नि0 / बजट(आवंटन)-06-02 / 2020

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

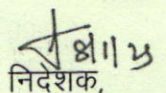

निदेशक,

हस्तकरधा, रेशम एवंहस्तशिल्प

ज्ञापांक 51 / राँची, दिनांक 08/01/2025

02 / ह0रे0ह0नि0 / बजट(आवंटन)-06-02 / 2020

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय (उद्योग)मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, उद्योग के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारक्राफ्ट, राँची/अपर सचिव(बजट एवं योजना), उद्योग विभाग/उप उद्योग निदेशक,(हस्तकरधा योजना), हस्तकरधा, रेशम एवंहस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड राँची एवं कम्प्यूटर कोषांग, उद्योग निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक,

हस्तकरधा, रेशम एवंहस्तशिल्प



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Industries Department

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 02/HS&H.IN-02/20/51(ALLOT)

दिनांक - 08-Jan-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 23 28510010360000679 2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग 00 - ग्राम तथा लघु उद्योग 103 - हथकरघा उद्योग 60 - राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम 00-NA 06 - अनुदान State Scheme	79794	DRNIND013 RAJEEV KR. GUPTA UNDER SECRETARY 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	9,364,000.00 रुपये तिरनावे लाख चौसठ हजार
State Scheme : HANDLOOM DEVELOPMENT(0905) Central Scheme : NA				



योग: रुपये तिरनावे लाख चौसठ हजार

9,364,000.00

क्रमिक योग:

(AKANKSHA RANJAN)
DIRECTOR HS&H